रेडियो के लायसेंस

538. **श्री राम सहाय : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1964 में ऐसे कितने ब्राडकास्ट रिसीवर सेट पकड़े गये जिनके लायसेंस नहीं लिये गये थे;

(ख) ऐसे कितने ब्राडकास्ट रिसीवर सेट पाये गये जिनके लाइसेंस 1964 में रिन्यू किये गये थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई ?

†[RADIO LICENCES

538. SHRI RAM SAHAI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of broadcast receiver sets detected in 1964, for which licences were not secured;

(b) the number of broadcast receiver sets, the licences for which were not renewed in 1964; and

(c) the action taken in the matter ?]

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री बी० भगवती) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासंभव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

‡[THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI B. BHAGAVATI) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as early as possible.]

छात्रों को एन० सी० सी० का प्रशिक्षण

443. **श्री राम सहाय : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से एन० सी० सी० का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है तब से क्या देश के समस्त कालेजों और विश्वविद्यालयों में सभी छात्र यह प्रशिक्षण ले रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत छात्र यह प्रशिक्षण ले रहे हैं :

†[N.C.C. TRAINING FOR STUDENTS

443. SHRI RAM SAHAI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether all the students are receiving N.C.C. training in all the colleges and universities of the country since it has been made compulsory; and

(b) if not, what is the percentage of number of students who are receiving this training ?]

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० डी० एस० राजू) : (क) जी नहीं। कालिजों और विश्वविद्यालयों के निम्न श्रेणियों के छात्र अनिवार्य एन० सी० सी० प्रशिक्षण से विमुक्त किए गए हैं :

(1) स्नातकोत्तर छात्र ।

(2) कमाते हुए शिक्षार्थी

(3) प्रवर खिलाड़ी ।

(4) छात्र जो 3 वर्ष एन० सी० सी० में रह चुके हों ।

(5) भारतीय उत्पत्ति के समुद्र पारीय छात्र ।

(6) नगरपालिका सीमाओं से बाहर से आने वाले छात्र ।

(7) जैसे कि एन० सी० सी० नियमों में निर्धारित है, 26 वर्ष से ऊपर आयु वाले छात्र ।

(8) निजी तौर पर पढ़ने वाले छात्र ।

(9) छात्राएं ।

(10) स्वास्थ्य दृष्टि से अयोग्य छात्र ।

†[ ] English translation. ‡Transferred from the 5th March, 1965.